

	(3) यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उपायुक्त निर्धारित अनुसार वसूली करेगा और उसे द्वीप परिषद कोष में जमा करेगा । (4) आदेश के 30 दिनों के भीतर सचिव जनजातीय कल्याण के पास आदेश संबंधित अपील कर सकता है ।	
	88. (1) यदि प्रशासक के विचार में द्वीप परिषद :- (क) इसकी शक्तियों को पार करना है अथवा दुरुपयोग करना है; अथवा (ख) इस विनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा अथवा के तहत इस पर लागू कर्तव्यों के निष्पादन में जानबूझ कर तथा लगातार गलतियाँ करते हैं अथवा निष्पादन में असक्षम होते हैं; अथवा (ग) इस विनियम के तहत देने योग्य करों को देने में असफल होते हैं; अथवा (घ) धारा 88 की उप धारा (2) के तहत दिए गए उपायुक्त के आदेश का लगातार अनुपालन नहीं करता है तो आदेश द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कर द्वीप परिषद को समाप्त कर सकता है और निदेश दिया जाएगा कि इन विनियम के तहत इसे पुनर्गठित किया जाएगा । (2) स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बगैर द्वीप परिषद उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता । (3) यदि उप धारा (1) के तहत यदि द्वीप परिषद विसर्जित हो जाता है तो निम्नलिखित परिणाम अनुवर्ती होगा :- (क) द्वीप परिषद के सभी सदस्यों की आदेश की निर्धारित तिथि से सदस्यता समाप्त हो जाएगी । (ख) द्वीप परिषद की समाप्ति अवधि के दौरान द्वीप परिषद के सभी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन और निष्पादन इसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा; (ग) द्वीप परिषद की समितियाँ समाप्त मानी जाएँगी और उस तिथि से समिति के सभी सदस्यों को कार्यालय खाली करना होगा।	द्वीप परिषद का विघटन
	89. यदि दो या दो से अधिक द्वीप परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे इस संघ राज्य क्षेत्र के सचिव जनजातीय कल्याण के पास भेजना होगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा ।	